छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 204/2006</u>

श्री नितिन सिंघवी, एम.आई.जी. 59, सेक्टर–1, शंकरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी
2. अपीलीय अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(05 अगस्त 2006)

श्री नितिन सिंघवी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 9–3–2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी नितिन सिंघवी ने जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को आवेदन पत्र दिनांक 10–1–2006 के द्वारा मुख्य अभियंता योजना के द्वारा लिखित नोटशीट दिनांक 2–11–2005 के पैरा क्रमांक–5 में उल्लेख किया गया है कि ण्त्ण्ब् के जनरल सेक्रेटरी श्री शर्मा के द्वारा 4 से 6 अगस्त 2005 की वर्कशॉप में यह अनुशंसा की गई कि ब्ण्त्ण्डण्ठण का उपयोग किया जाना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें अधिक गुणवत्ता का नियंत्रण करना होता है तथा कम यातायात वाली सड़कों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। अपीलार्थी ने ण्त्ण्ब् के सेक्रेटरी जनरल के इस कथन के आधार हेतु संबंधित वर्कशॉप का कार्यवाही विवरण तथा अन्य संबंधित तथ्य मांगी थी। जन सूचना अधिकारी ने इस आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया कि यह जानकारी कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक के चाहे अनुसार श्री

शर्मा का नाम एवं पता अपीलार्थी को सूचित किया है। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने आयोग के द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने तर्क में बताया कि वर्कशॉप में यदि किसी तकनीकी बिन्दु पर सेक्रेटरी जनरल ने अपना अभिमत दिया है तो वह वर्कशॉप के कार्यवाही विवरण में होना चाहिए। कार्यवाही विवरण कार्यालय में उपलब्ध न होना आश्चर्यजनक है। यदि किसी तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट अथवा अध्ययन जिसके आधार पर टीप लिखी गई है वह अपीलार्थी को प्रदान की जाना चाहिए अथवा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को यह सूचित किया जाना चाहिए कि संबंधित टीप के संबंध में कोई प्रमाणित तथ्य उपलब्ध नहीं है तथा टीप संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत मत है।

ऐसा प्रतीत होता है कि टीप लिखने वाले अधिकारी के द्वारा अपने विवेक से टीप लिखी गई है तथा टीप के आधार स्पष्ट नहीं किये गये हैं। विकास कार्यों के लिए किस आधार पर निर्णय लिया गया है इसको जानने का अधिकार जन–सामान्य को है। अपीलार्थी के द्वारा अन्य प्रकरणों में भी इन्हीं आधारों की जानकारी चाही गई है कि उपयोग में लाये गये डामर का चयन किस आधार पर किया गया तथा बण्त्ण्डण्ठण का चयन किस आधार एवं कारणों से नहीं हुआ। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका उपयोग कर रहा है।

यह प्रकरण विकास से संबंधित जानकारी का है तथा इसकी जानकारी एवं लिये गये निर्णयों का आधार एवं कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकरण तथा इससे संबंधित अपीलार्थी के अन्य प्रकरणों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुख्य अभियंता द्वय योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की टीप एवं उस पर प्रमुख अभियंता की टीप अनुपलब्ध आधार एवं कारणों के लिखी गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा चाही गई जानकारी अनुपलब्धता के कारण नहीं दिये जाने का तर्क मान्य नहीं है। यदि लिखे गये तथ्य का आधार अनुपलब्ध था तो टीप किस आधार पर लिखी गई। इतने वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि नोटशीट में वे जो मत देते हैं उसका आधार उनके पास लिखित में होना चाहिए व उसे देनी चाहिए अन्यथा उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए कि उन्होंने बिना किसी तकनीकी आधार के यह मत दिया था। अतः अब इस प्रकरण में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस प्रकरण के संबंध में तथ्यों की जाँच करें तथा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार के अंतर्गत विकास संबंधी कार्यों हेतु लिये गये निर्णयों का आधार विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट करावें। चूंकि सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध सूचना आवेदक को विलम्ब से 20–3–2006 को दी गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आवेदक ने प्रत्यक्ष रूप से जानकारी लेने से इंकार किया तथा जानकारी को डाक के द्वारा भेजे जाने हेतु उल्लेख किया गया। अपीलार्थी को डाक से समय पर ही जानकारी भेजी जाना चाहिए थी। विलम्ब से सूचना भेजी गई, जिससे अपीलार्थी को मानसिक यातना एवं आर्थिक क्षति हुई है। अतः अपीलार्थी को लोक निर्माण विभाग के द्वारा 500/– रूपए (पांच सौ रूपए मात्र) क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे। चूंकि कार्यालय में चाही गई जानकारी उपलब्ध होना नहीं बतलाया गया है, अतः जन सूचना अधिकारी को अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को आदेश की प्रति आदेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए भेजी जा रही है।

अपीलार्थी की अपील उक्त निर्देशों के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त